

अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग

राजस्थान सरकार

अल्पसंख्यक दर्जा/अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 2(CA) राष्ट्रीय
अल्पसंख्यक शिक्षण संस्था अधिनियम-2004

क्रम सं.	शैक्षणिक संस्था का नाम व पूरा पता	
1	संस्था/ट्रस्ट/सोसायटी के अध्यक्ष/सचिव, का नाम एवं पूरा पता मय दूरभाष नम्बर सहित।	
2	संस्था का अल्पसंख्यक आधार-धार्मिक/भाषायी	
3	संस्था द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र चाहने का आधार-धार्मिक/भाषायी	
4	शैक्षणिक संस्था का प्रारम्भ होने का वर्ष या प्रस्तावित एवं स्तर	
5	क्या पूर्व में अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु कोई प्रार्थना पत्र पेश किया था, यदि हां तो पूर्ण विवरण	
6	क्या संस्था का प्रार्थना पत्र राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक आयोग के पास विचाराधीन है।	
7	ट्रस्ट/सोसायटी का पूर्ण विवरण 1. ट्रस्ट/सोसायटी का नाम 2. पंजीयन नम्बर मय पंजीयन प्रमाण पत्र की फोटो प्रति सहित।	
8	संस्था को स्थापित करने वालों सदस्यों का विवरण	
9	संस्था के संविधान/नियम/उपनियमों में किये गये परिवर्तन सशोधन का पूर्ण विवरण	
10	संस्था के द्वारा संचालित की जा रही शैक्षणिक संस्था का विवरण	
11	अल्पसंख्यक छात्रों का संस्था में प्रतिशत प्रधानाध्यापक/सचिव के शपथ-पत्र सहित।	
12	वर्तमान प्रबन्धकारिणी के सदस्यों का विवरण	

13	संस्था को क्या पूर्व में किसी न्यायालय/आयोग से मान्यता प्रमाण पत्र प्राप्त है।	
14	संस्था के स्वामित्व में स्थापना से अब तक हुए परिवर्तन का विवरण	
15	संस्था शिक्षा विभाग/निदेशक कॉलेज/विश्व विद्यालय/ AICTE/N.C.T.E. Act से मान्यता प्राप्त/सम्बन्धता का विवरण	
16	क्या संस्था अनुदानित है या नहीं	
17	दिशा निर्देशानुसार क्या समस्त दस्तावेज संलग्न है	

घोषणा

मैं अध्यक्ष/सचिव समिति/ट्रस्ट की तरफ से घोषणा करता हूँ कि प्रार्थना पत्र में दी गई समस्त जानकारी सही है, इसमें कोई तथ्य गलत नहीं है, छिपाया नहीं गया है। यदि सत्यापन पर कोई तथ्य गलत पाया जाता है तो विभाग द्वारा जारी की गई अनापत्ति प्रमाण पत्र को विभाग को निरस्त/प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार होगा। इस संबंध में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।

स्थान:-

दिनांक:-

अध्यक्ष/सचिव,

संस्था का नाम व पता

अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को स्थापित करने के लिये अल्पसंख्यक दर्जा/अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु दिशा निर्देश

प्रार्थना पत्र के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न किये जाने आवश्यक है:-

संस्था का नाम:-

क्र.सं.	संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज	संलग्न हैं/ अथवा नहीं
1.	प्रार्थना पत्र निर्धारित प्रारूप (अनुलग्नक -1) में आवश्यक दस्तावेजों के साथ संलग्न।	
2.	प्रार्थना पत्र के साथ प्रोसेस फीस के लिए 5000 रु का डिमांड ड्राफ्ट निदेशक अल्पसंख्यक मामलात विभाग, जयपुर के नाम से प्रस्तुत किया गया हैं।	
3.	संस्था के पंजीकरण की प्रमाणित प्रति संलग्न।	
4.	संस्था के विधान नियमावली की प्रतिलिपि जिसमें अल्पसंख्यक वर्ग के लिये शिक्षण संस्थान को खोले जाने का प्रावधान है।	
5.	संस्था के वास्तविक ट्रस्टियों तथा कार्यकारणी के सदस्य के नामो की रजिस्ट्रार से सत्यापित प्रति की प्रतिलिपि।	
6.	संस्था के वास्तविक ट्रस्टियों तथा कार्यकारणी के सदस्य के नाम, फोटो व हस्ताक्षर सहित सूची।	
7.	संस्था के नाम में या इसके कार्यकारणी में कोई परिवर्तन किया गया है तो परिवर्तन संबंधी दस्तावेज की सत्यापित प्रतियां।	
8.	संस्था के पदाधिकारियों तथा कार्यकारणी के सदस्यों के धर्म संबन्धी अलग-अलग प्रमाण पत्र।	
9.	आवेदनकर्ता सोसायटी द्वारा शिक्षण संस्था के संचालन सम्बंधी 100 रु. का शपथ पत्र। (निर्धारित प्रारूप में)	
10.	शिक्षण संस्था की वित्तीय संसाधनों का प्रमाण पत्र तथा सम्पूर्ण वित्तीय विवरण भूमि, भवन टाईटल, भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र एवं भवन नक्शा आदि सम्मिलित करते हुए सत्यापित दस्तावेजों की प्रतियां।	
11.	चार्टर्ड अकाउण्टेंट द्वारा सत्यापित आयकर देय संबंधी 3 वर्षों के आयकर रिटर्न्स मय कम्प्युटेशन संबंधी प्रमाण पत्र।	
12.	चार्टर्ड अकाउण्टेंट द्वारा सत्यापित संस्था के गत तीन वर्षों की बैलेंस शीट की सत्यापित प्रति।	
13.	संस्था को विदेशी धन प्राप्त होने की स्थिति में विवरण के साथ विदेशी सहयोग नियमितीकरण अधिनियम-1976 की प्रति अन्यथा विदेशी धन प्राप्त नहीं होने का शपथ पत्र (10 रु. स्टाम्प पर)।	
14.	शिक्षण संस्था द्वारा दी गई गतिविधियों से संबंधित वार्षिक रिपोर्ट में गत तीन वर्षों में सम्पन्न की गई समस्त गतिविधियों का विस्तृत विवरण (संख्यात्मक सूचना सहित) की सत्यापित प्रतियां।	
15.	शिक्षण संस्था की नियामित रूप से अपडेटेड वेबसाइट।	
16.	सरकार के शिक्षा के अधिकार के अधिनियम जैसे अधिनियमों की अनुपालना के सम्बन्ध में उद्घोषणा।	
17.	शिक्षण संस्था जिसके क्षेत्राधिकार में संचालित है, (जैसे प्राथमिक/उच्च प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक/उच्च माध्यमिक शिक्षा, महाविद्यालय/चिकित्सा शिक्षा/तकनीकी शिक्षा) द्वारा देय अद्यतन (अपडेटेड) मान्यता/अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि।	
18.	शिक्षण संस्था में गत तीन वर्ष में अल्पसंख्यक विद्यार्थियों की संख्या एवं प्रतिशत का विवरण।	
19.	शिक्षण संस्था की प्रवेश नीति।	
20.	क्या उक्त 19 बिन्दुओं से संबंधित समस्त दस्तावेज संलग्न है।	

शपथ-पत्र (100 रू. के स्टाम्प पर निम्न विषय को सम्मिलित कर संलग्न करें)
नोटेरी से सत्यापित

मैं अध्यक्ष/सचिव समिति/ट्रस्ट घोषणा करता हूँ कि इस समिति/ट्रस्ट के अन्तर्गत संस्था संचालित है तथा अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में दी गई समस्त जानकारी सही है, इसमें कोई तथ्य गलत नहीं है, छिपाया नहीं गया है। यदि सत्यापन पर कोई तथ्य गलत पाया जाता है तो विभाग द्वारा जारी की गई अनापत्ति प्रमाण पत्र को विभाग को निरस्त/प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार होगा। इस संबंध में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।

अध्यक्ष/सचिव,

संस्था का नाम व पता